

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम—काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:—105/2023 विविध(धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

एयू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड पंजिकृत कार्यालय—19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर—302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

—प्रार्थी

### बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र श्री जगदीशचन्द्र जांगिड़ जाति जांगिड़  
पता—वार्ड नं. 11, कृष्ण गऊशाला के पास, खरलिया रोड़, पीलीबंगा तह.  
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ एवं मनोज कुमार पता—पट्टा सं. 2353, पो.  
पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।  
—मूल ऋणी, बंधकग्रहिता
2. सिमरन पत्नी श्री मनोज कुमार जाति जांगिड़ पता— वार्ड नं 11, कृष्ण  
गऊशाला के पास, खरलिया रोड़, पीलीबंगा तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।  
—सहऋणी
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम लाल पता— वार्ड नं. 02, पो. लखुवाली तहसील  
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।  
—प्रतिभू



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण  
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश

दिनांक:—20.03.2024

प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी मनोज कुमार शाखा हनुमानगढ़ की ओर से श्री पराग जैन वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 10.01.2018 को 'लोन एग्रीमेन्ट' सं. L9001060114040510 के तहत 3,00,000/-रुपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। नगरपालिका पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ द्वारा एक आवासीय पट्टा सं0 2353 पैमाईशी 915.89 वर्गफुट अर्थात 101.66 वर्गगज वार्ड नं0 11, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ में स्थित है जो कि मनोज कुमार पुत्र श्री जगदीशचन्द्र जांगिड़ जाति निवासी वार्ड नं. 11, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के नाम से जारीशुदा है। उक्त भूखण्ड को उप पंजीयक पीलीबंगा द्वारा मनोज कुमार पुत्र जगदीशचन्द्र जांगिड़ के पक्ष में दिनांक 01.02.2016 को पंजीकृत किया गया। इस प्रकार मनोज कुमार पुत्र जगदीशचन्द्र जांगिड़ जाति जांगिड़ निवासी—वार्ड नं0 11, कृष्ण गऊशाला के पास, खरलिया रोड़, पीलीबंगा तह0 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ उक्त आवासीय भूखण्ड पैमाईशी 915.89 वर्गफुट अर्थात 101.66 वर्गगज का एकल स्वामी है। अप्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/ आडमान किया।

अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 11.05.2023 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी के खाता में बकाया राशि 1,78,760/-रुपये (अखरे एक लाख अठतर हजार सात सौ साठ रुपये) बकाया रकम, ब्याज, शास्तियां व अन्य खर्चे दिनांक 15.05.2023 तक शेष व देय

निकलते हैं और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने दिनांक 17.05.2023 को उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 19.05.2023 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। प्रार्थी बैंक ने उक्त नोटिस की सूचना समाचार पत्र 'द इण्डियन एक्सप्रेस, दैनिक नवज्योति' में दिनांक 07.06.2023 को जारी की थी। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया, ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रेषित किया एवं ना ही किसी प्रकार का सम्पर्क साधने की कोशिश की।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी सम्पत्ति नगरपालिका पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ द्वारा एक आवासीय पट्टा सं. 2353 पैमाईशी 915.89 वर्गफुट अर्थात् 101.66 वर्गगज वार्ड नं० 11, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ में स्थित है जो कि मनोज कुमार पुत्र श्री जगदीशचन्द्र जांगिड़ निवासी वार्ड नं. 11, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा के नाम से जारीशुदा है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट  
जिला मजिस्ट्रेट  
हनुमानगढ़  
हनुमानगढ़